न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 06/2017

कन्हैयालाल पिता उदा जी माईं बनाम (1) खेमी लाल पिता भूमालाल जाति माईं
नि वासी महुवा

(2) नन्दा पिता भूमालाल जाति माईं
(3) अशोक कुमार पिता पूरणचंद जाति माईं
(4) भूरा पिता रामा माली नि महुवा
(5) भाना पिता रामा माली नि महुवा
(6) प्रताप नाथ पिता गाना नाथ

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– आदेश :–

दिनांक 12/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री कन्हैया लाल माईं ने जरिये अभिभाषक श्री महेश चन्द्र पालीवाल ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल / [illegible] खाते की भूमि ग्राम महुवा प0ह0 महुवा तह0 माण्डलगढ से आराजीनं0 1613, 2474/295

किता 2 रकबा 8 बीघा 017 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् 2070 / 2072 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार / गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम महुवा की आराजी न0 1613, 2474/295 रकबा 8 बीघा 017 बिस्वा — की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 450 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ